**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** 95 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी **अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी **अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** के माह 02/2017 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव व श्री राजेश डोभाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी व नन्दन संह भण्डारी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26/02/2018 से 07/03/2018 तक श्री नीरज चुंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित कया गया।

## भाग-I

**1. परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर. एन. यादव व श्री अ मत टंडन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी व श्री अं कत पाण्डेय द्वारा दिनांक 20/02/2017 से 28/02/2017 तक एवं 06/03/2017 से 08/03/2017 तक श्री वी. एस. पँवार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2016 से 01/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2017 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

**2.** (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

वधानसभा क्षेत्र रामनगर एवं कालाढुंगी व नैनीताल (आं शक) के अंतर्गत सड़क, सेतु व भवन का निर्माण व सुधार कार्य।

अ. विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रां भक अवशेष | | स्थापना | | गैरस्थापना | | आ धक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना ` | गैर स्थापना ` | आवंटन लाख में | व्यय लाख में | आवंटन | व्यय | | |
| 2015-16 | - | - | 4.28 | 4.27 | 30.07 | 30.07 | | |
| 2016-17 | | - | 4.97 | 4.97 | 25.02 | 25.02 | | |
| 2017-18 | - | - | 6.09 | 5.60 | 19.56 | 15.26 | | |

---

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शून्य | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(ii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

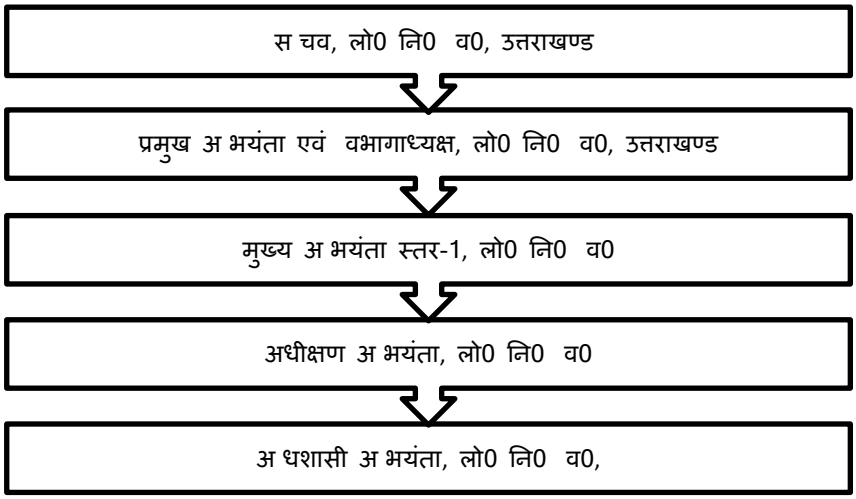


**(III)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों की निरीक्षण प्रतिवेदन प्रथक-प्रथक जारी कए जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 05/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। रामनगर लालढ़ांग मो. मा. के कमी 06 में सावल्दे नदी पर 270 मी. स्पान आर. सी. सी. सेतु का निर्माण कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन..... के आधार पर कया गया।

(IV) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**3.** अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... से ..... को निरीक्षण किया गया।

**4.** खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017तथा 09/2017 तक की गई।

**5.** फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 54,57,199.29

भाग द्वितीय ` 1,73,132.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रकीर्ण अग्रिम | ` 43,33,981.00 |
| (ख) | सामग्री क्रय | ` शून्य |
| (ग) | नगद परिशोधन | ` 3,82,572.00 |
| (घ) | निक्षेप | ` 2,14,36,402.00 |
| (ङ) | भण्डार | ` 25,24,064.52 |

**भाग–2 ( अ)**

**प्रस्तर–1 कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करना, सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटना तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी की कटौती नही कर सरकारी राजस्व धनराशि रू0 42.02 लाख की हानि।**

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में कोसी बैराज से भण्डार पानी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 747/।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08.02.2014 के द्वारा लम्बाई 16.775 किमी0 व लागत रू0 928.36 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 3219/01 याता0–हल्द्वानी/2014 दिनांक 10–07–2014 के माध्यम से लागत रू0 928.36 लाख लम्बाई 16.775 किमी0 की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्रांकः 614/41-M-02/2014दिनांक 11.02.2014 एवं शुद्धि पत्र सं0 1142/41 एम0 दिनांक 07.03.2014 द्वारा निविदा का आमन्त्रण किया गया। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु मुख्य अनुबन्ध संख्याः 18/SE- 02/2014-15 Dated 10.10.2014 ठेकेदार– M/s Woodhill Infrastructure Ltd., D-42 Rajnagar, Ghaziabad. के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 58102025.71 एवं आगणित लागत रू0 60363029.17 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.10.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.10.2015 थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर के अभिलेखों की नमूनाजांच ( माह 02/2018) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 3219/01 याता0–हल्द्वानी/2014 दिनांक 10–07–2014 के माध्यम से लागत रू0 928.36 लाख लम्बाई 16.775 किमी0 की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जबकि कार्य निष्पादन हेतु निविदा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्रांकः 614/41 एम0–द्वितीय/2014 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 11.02.2014 को आमन्त्रित की गयी।
- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति रू0 928.36 लाख की प्रदान की गयी थी, परन्तु सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए कुल 09 अनुबन्ध गठित किये गये।
- **उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा 842/VII-I/2016/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 19 मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत/संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दर रू 90.00प्रति घन मीटर के स्थान पर 26 फरवरी 2016 से `194.50प्रति घन मीटर तथा 19 मई 2016 से `176.00प्रति घन मीटर संशो धत/वृध्दि कया गया था।**

अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि उक्त कार्य निष्पादन में अनुबन्ध संख्याः 18/SE- 02/2014-15 Dated 10.10.2014 (ठेकेदार– M/s Woodhill Infrastructure Ltd.) के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त उपखनिज मात्रा के लिए रायल्टी भुगतान की कोई भी रवन्ना/रसीद नही दिया गया था जबकि अनुबन्ध के (H) TERMS AND CONDITIONS के बिन्दु संख्या–63 में स्पष्ट उल्लिखित था कि''**अनुबन्ध**

**में प्रयुक्त निर्माण खनन सामग्री के वैध रवन्ने ठेकेदार को जमा करने होगे अन्यथा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर खनन सामग्री की रॉयल्टी ठेकेदार के बीजक से काट ली जायेगी''**तथापि ठेकेदार के बिलों से कोई भी रायल्टी की कटौती नही की गयी थी, जबकि अन्तिम देयक बाउचर संख्या 113 दिनांक 17.05.2017 रायल्टी विवरण के अनुसार 23875.13 cum मात्रा उपखनिज (मिट्टी को छोड़कर) को प्रयुक्त किया गया था, जिसका तत्समय लागू दर @ रू0 176/घन मी0 से रायल्टी रू0 4202023.00 देय होती थी। रायल्टी का प्रत्येक भुगतान बिल से अविलम्ब कटौती की जानी चाहिये थी जिससे राजस्व का समय से वसूली हो सके परन्तु ठेकेदार के बिलों से देय रायल्टी रू0 42.02 लाख की कटौती नही कर सरकारी राजस्व **को** नुकसान पहुचाया गया।

आगे अभिलेखों के अवलोकन में यह भी पाया गया कि रायल्टी के लिये रोकी गयी धनराशि रू0 4460000/– को अन्तिम देयक बाउचर संख्या 113 दिनांक 17.05.2017 के माध्यम से अवमुक्त करते हुये भुगतान **कया** गया जबकि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के (H) TERMS AND CONDITIONS के बिन्दु संख्या–63 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत प्रयुक्त उपखनिज मात्रा के लिए रायल्टी भुगतान की कोई भी रवन्ना/रसीद नही दिया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि मार्ग कार्बेट क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है जिसमें भारतीय एवं विदेशी पर्यटको का लगातार आवागमन रहता है, मार्ग की स्थिति अत्यन्त खराब थी, अतः पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना अति आवश्यक था, जिस कारण तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित कर ली गई। कार्य को टुकड़ो में नही बांटा गया, मूल कार्य को पूर्ण करने के पश्चात् समयोपरान्त कार्य स्थल की नई आवश्यकतों को देखते हुए समय–समय पर इसी मार्ग पर अनुबन्ध गठित कर कार्य कराये गये, योजना समाप्ति से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति ले ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा अन्तिम देयक के साथ अपने प्रार्थना पत्र में अनुरोध

किया था कि रायल्टी प्रपत्र खण्ड में जमा करा दिये जायेगे, इसी प्रत्याशा में रायल्टी की धनराशि रोकी गई, ठेकेदार को रायल्टी प्रपत्र के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है रायल्टी प्रपत्र की प्रत्याशा में भुगतान अवमुक्त किया गया, यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी प्रपत्र उपलब्ध नही कराया जाता तो खण्ड में चल रहे अन्य कार्यो से रायल्टी की धनराशि वसूल कर ली जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि कार्य की निविदा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही आमन्त्रित की गयी, सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटा गया था तथा कार्य के लिये देय रायल्टी की कटौती भुगतान वाउचरों से नही की गयी थी और ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान किये जाने का कोई रवन्ना/रसीद खण्ड को प्रस्तुत नही किया गया था।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटने तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी की कटौती नही कर सरकारी राजस्व धनराशि रू0 42.02 लाख की हानि पहुचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1-:जिला नैनीताल मे वनिय मत क्षेत्र रामनगर द्वारा वत्त पो षत राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय के परिसर मे बहुउददेशीय भवन निर्माण कार्य अधूरा रहने से उक्त भवन के उद्देश्यों की पूर्ति न होना व अधूरे कार्य पर आति थ तक कया गया व्यय `**32.25** लाख निरर्थक

जिला नैनीताल मे वनिय मत क्षेत्र रामनगर द्वारा वत्त पो षत राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय के परिसर मे बहुउददेशीय भवन (उद्देश्य सरकारी आयोजन, व भन्न बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं इंडोर गेमों के प्रयोग हेतु) का निर्माण कार्य की स्वीकृति जिला धकारी नैनीताल के पत्रांक संख्या:374/23-स्था॰ नि॰ली॰/2013 दिनांक 12-12-2013 के द्वारा `54.50 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य के भवन प्लान का अनुमोदन दिनांक 08/08/2014 को जिला धकारी नैनीताल द्वारा दिये जाने के उपरांत कार्य की प्रा व धक स्वीकृति अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल) द्वारा पत्रांक संख्या: 2222/**AC** दिनांक: 16/12/2014 के माध्यम से कुल लागत ` **54.50** लाख की प्रदान की। कार्य हेतु अ धशासी अ भयन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या -95/EE-05/दिनांक: 24/01/2015 कुल लागत `40.99 लाख 0.50 % below श्री दिनेश चन्द्र तिवारी के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 24/01/2015 व कार्य समाप्ति की निर्धरित ति थ 23/10/2015 थी। कार्य की वत्तीय व भौतिक प्रगति के अनुसार कार्य पर कुल `32.25 लाख(02/2018) व्यय कया गया है और कार्य अभी अपूर्ण होने के साथ साथ लगभग 2 वर्षो (07/2016) से बंद है।

कार्य के अ भलेखो व पत्राचार से यह तथ्य प्रकाश मे आया क ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को निर्धरित समाप्ति ति थ 23/10/2015 के एक वर्ष अ धक व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण नहीं कया गया था और इस बीच वनिय मत क्षेत्र रामनगर को उत्तराखंड आवास एवं नगर वकास प्रा धकरण के वकास क्षेत्र के रूप मे माननीय श्री राज्यपाल मोहदय द्वारा अ धसूचना संख्या: 1858/IV-2/60(आ॰)15/2016 दिनांक 21/12/2016 अ धसू चत कया जिस कारणवश उपजिला धकारी, रामनगर द्वारा उक्त बहुउददेशीय भवन निर्माण हेतु अब धन आवंटन कये जाने से मना कया और खंड को साफ साफ अवगत कराया क इस निर्माण हेतुधन आवंटन

कया जाना सम्भव नहीं है (पत्र दिनांक 24 मई 2017 के अनुसार )। उपलब्ध पत्रावली से यह तथ्य भी प्रकाश मे आया क ठेकेदार द्वारा कये गये कार्य के लगभग `7.50 लाख के दायित्व भी सृजित हो गये है और कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु स्थानीय बेड मंटन असो शयेशन द्वारा भी बार बार अनुरोध कया गया था। अतः निर्माण कार्य मे वलम्ब व धन अभाव के कारण बहुउददेशीय भवन निर्माण कार्य अधूरा रहने से उक्त भवन के उददेशेयो की पूर्ति न होना व अधूरे कार्य पर आति थ तक कया गया व्यय निरर्थक/औ चत्यहीन है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया क धनाभाव के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य 06/2016 से बन्द कर दिया गया है और अब माननीय वधायक रामनगर से संपर्क कर वधायक नि ध या अन्य कसी योजना मे आगणन भेज कर निर्माण कार्य पूर्ण करने के प्रयास कए जाएगे। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क निर्माण कार्य को निर्धारित समाप्ति ति थ 23-10-2015 के एक वर्ष अ धक व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण नहीं कया गया था व कार्य 06/2016 से बंद है। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा यह जानते हुए भी क वनियमीत क्षेत्र रामनगर को उत्तराखंड आवास एवं नगर वकास प्रा धकरण के वकास क्षेत्र मे अ धसू चत होने से उक्त मद से कोई धन आवंटन अब सम्भव नहीं है उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कए जाने हेतु कोई अन्य वकल्प हेतु प्रयास नहीं कए गये थे।

अत: जिला नैनीताल मे वनिय मत क्षेत्र रामनगर द्वारा वत्त पो षत राजकीय स्नातकोत्तर महा वद्यालय के परिसर मे बहुउददेशीय भवन निर्माण कार्य अधूरा रहने से उक्त भवन के उद्देश्यों की पूर्ति न होना व अधूरे कार्य पर आति थ तक कया गया व्यय `32.25 लाख निरर्थक/औ चत्यहीन का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 :रामनगर लालढ़ांग मोटर मार्ग के क॰मी॰ 6 में सावल्दे नदी पर 270 मी॰ स्पान आर॰ सी॰ सी॰ प्री-स्ट्रेस सेतु के निर्माण कार्य पर ठेकेदार के देयकों से `**46** लाख की रॉयल्टी की लम्बित वसूली, अनुबन्ध के **clause 13.3** के अनुसार इंश्योरेंस की समय अव ध बढ़ाने की कार्यवाही न करना व `169 लाख का अर्थदण्ड न लगा कर खंड द्वारा ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाना।

राज्य सैक्टर /साबार्ड के अंतर्गत रामनगर लालढ़ांग मोटर मार्ग के क॰ मी॰ 6 में सावल्दे नदी पर 270 मी स्पान आर॰ सी॰ सी॰ प्री-स्ट्रेस सेतु के निर्माण कार्य के शासनादेश संख्याः 1284/**III-2/(1475-**प्रा॰आ॰/2013 दिनांक 04-03-2014 द्वारा ` 2185.64 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता **(**हल्द्वानी) लोक निर्माण वभाग नैनीताल द्वारा पत्रांकः1889 (2)/ यातायात/ हल्द्वानी/ 2014 दिनांकः 30/03/2015 के माध्यम से कुल लागत ` **2185.64** लाख की प्रदान की। अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या - 09/SE-02/2015-16 दिनांकः 10-07-2015 कुल लागत `1954.27 लाख (5.70%below) मेसेर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट ल मटेड**,** राजनगर गाजियाबाद के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 10-07-2015 व कार्य समाप्ति की निर्धरित ति थ 09-07-2017 थी। कार्य की वत्तीय व भौतिक प्रगति के अनुसार कार्य पर कुल `1611.08 लाख तक (82.61 % ) व्यय कया गया है और कार्य अभी (03/2018) तक अपूर्ण है। अ भलेखो में यह भी पाया गया क मुख्य अ भयंता द्वारा इस कार्य पर रु 84 लाख के tentative variation व रु 1.17 करोड़ के अतिरिक्त मद स्वीकृत 5/2017 व 02/2018 में कए थे। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर वत्तीय व भौतिक प्रगति हेतु निम्न माइल स्टोन निर्धरित कए गए थे।

| **09/SE-02/2015-16** दिनांक 10/07/2015 | | |
|---|---|---|
| माइल स्टोन 1 | % 15 | 8 माह मे |
| माइल स्टोन 2 | % 50 | **16** माह मे |
| माइल स्टोन 3 | **100%** | **24** माह मे |
| वलम्ब | | **7** माह (173दिन) |

उपरोक्त ता लका के अनुसार कार्य को 7 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कया गया (02/2018) है और ठेकेदार द्वारा एस॰बी॰डी॰ के क्लॉज़ 25 के अंतर्गत समय वृद् ध हेतु कोई आवेदन माइल स्टोन के अधूरे रहने पर नहीं दिया है। इस के अतिरिक्त ठेकेदार समय वृद् ध हेतु आवेदन अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति के 5 माह व्यतीत होने के उपरांत दिया गया है जिसका खण्ड द्वारा एस॰बी॰डी॰ के क्लाज 26 व 46.1 के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं क गयी है। इस प्रकार ठेकेदार के देयक पर रु 169 लाख (1/2000 X 173 दिन X

195426931.66) का अर्थदण्ड न लगा कर खण्ड द्वारा ठेकदार को अनु चत लाभ पहुचाया साथ ही ठकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं कर रहा है जो क खण्ड की लापरवाही को परिल क्षत करता है। कार्य के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया गया क ठेकदार के देयकों से `46 लाख (मट्टी 4197.70cum, स्टोन ब्लास्ट 14205.28 cum व रेत 10173.27 cum) की रॉयल्टी काटी जानी थी जब क 18वे चालो देयक के अनुसार ठेकेदार के देयक से `37 लाख रॉयल्टी के रूप मे राजस्व मे जमा न कर, रोकी गयी है जो वत्तीय हस्त पुस्तिका व राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश मे वद्यमान व्यवस्था के वरुध्द है। आगे यह भी पाया गया क ठेकेदार द्वारा इस सम्बंध मे क्रेशर अथवा अन्य जगहो से खरीद गई सामग्री का कोई वाउचर खण्ड को प्रमाण के रूप मे प्रस्तुत नहीं कये है। आगे अनुबन्ध के clause 13 के शर्तो अनुसार यह भी पाया गया क कार्य पर इंश्योरेंस की 07/2017 को समय अव ध समाप्त होने के उपरांत भी ठेकेदार द्वारा इंश्योरेंस की समय अव ध बढ़ाने की कार्यवाही नहीं की थी। और खण्ड द्वारा अनुबन्ध के clause 13.3 के अनुसार कोई कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं की थी।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया क ठेकेदार द्वारा समय वृद् ध हेतु आवेदन (01/2018) दिया है जिसकी ठेकेदार के अंतिम देयक से पूर्व समय वृद् ध स्वीकृत करने हेतु नियमानुसार अर्थदण्ड काट लया जाएगा, इंश्योरेंस की समय अव ध बढ़ाने की कार्यवाही ठेकेदार से अपे क्षत है तथा ठेकेदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध कया गया है की उसके रॉयल्टी के बिल अंतिम देयक से पहले प्रस्तुत कर लये जायेगे अन्यथा की स्थिति मे अंति मकरण से पूर्व कटौती कर ली जाये। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क खंड द्वारा कार्य के निष्पादन मे अनुबन्ध के clause व निर्गत शासनादेश मे वधमान व्यवस्था के वरुध्द लापरवाही बरती है व ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाया है।

अतः रामनगर लालढ़ांग मोटर मार्ग के क॰मी॰ 06 में सावल्दे नदी पर 270 मी॰ स्पान आर॰सी॰सी॰ प्री-स्ट्रेस सेतु के निर्माण कार्य पर ठेकेदार के देयकों से रु 46 लाख की रॉयल्टी की लम्बित वसूली, अनुबन्ध के clause 13.3 के अनुसार इंश्योरेंस की समय अव ध बढ़ाने की कार्यवाही न करना व `169 लाख का अर्थदण्ड न लगा कर खंड द्वारा ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3 :खंडीय लापरवाही के कारण कालाडुंगी मे देचोरी व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी के ऊपर 54 मी॰ स्पान झूला पुल लागत `**280.45** लाख का अवरुध्द निर्माण कार्य।

जनपद नैनीताल के वधान सभा क्षेत्र कालाडुंगी मे देचोरी व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी के ऊपर 54 मी॰ स्पान झूला पुल का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 2496/III-2/(16-47प्रा॰आ॰ /2012 दिनांक:26-092016 द्वारा कुल लागत `**280.45** लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल) द्वारा पत्रांकः 7402**(2)** /यातायात / हल्द्वानी/2015दिनांकः **16/12/ 2016** के माध्यम से कुल लागत `**280.45** लाख की प्रदान की। कार्य हेतु अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या 42 /एसई-02 दिनांक 2-01-2017 के अंतर्गत कुल लागत `271.30 लाख मेसेर्स कुन्दन संह प्रेम संह जमनल ऋ षकेश के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 02/01/2017 व कार्य समाप्ति की निर्धारित ति थ 01/01/2018 थी। कार्य की वत्तीय व भौतिक प्रगति के अनुसार कार्य पर कोई व्यय नहीं कया गया है और कार्य अभी (03/2018) तक अपूर्ण है।

कार्य के अनुबन्ध, निरीक्षण पत्रावली व कार्यवृत के अवलोकन मे पाया गया क उक्त कार्य क समाप्ति की ति थ बीत चुकी थी ले कन अनुबन्ध के क्लाज 56.2 (a)if the contractor stops work for 28 days when no stoppage of work is shown on the current program and the stoppage has not been authorized by the engineer के अनुसार अनुबन्ध के निस्तारण की कार्यवाही कार्य बन्द रहने पर खंड द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी। इस के अतिरिक्त अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा पुल निर्माण स्थल के स्थलीय निरीक्षण मे पाया था क निर्माण स्थल पर एबटमेंट एवं एंकर टावर क बुनियाद हेतु आं शक रूप से खुदाई करने के पश्चात कुछ भी कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं कया था। इस सम्बंध मे अधीक्षण अ भयंता द्वारा पत्रांक 3947/403सी0–2/2017 दिनांक 28.10.2017 द्वारा खण्ड को निर्देश दिये थे क लगभग 10 माह व्यतीत होने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा सुचारु रूप से कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त तथ्य को कार्यालय के सज्ञान मे क्यो नहीं लाया गया के सम्बंध मे कोई स्पष्टीकरण खण्ड द्वारा प्रस्तुत नहीं कया गया था। अ भलेखो मे आगे पाया गया क खण्ड द्वारा अधीक्षण अ भयन्ता को पत्र दिनांक 18.01.2018 से अवगत कराया क वर्तमान तक ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल मे कार्य प्रारम्भ करने क कोई

कार्यवाही नहीं की  गयी है और सहायक अ भयन्ता को नियमानुसार अधूरे कार्य का अनुबन्ध के शर्तोनुसार अंतिम देयक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है(12/02/2018)।

लेखा परीक्षा द्वारा  उपरोक्त के सम्बंध मे व अनुबन्ध के क्लाज 56.2 (a) contractor stops work for 28 days when no stoppage of work is shown on the current program and the stoppage has not been authorized by the engineer के अनुसार अनुबन्ध के निस्तारण की कार्यवाही कार्य बन्द रहने पर खंड द्वारा सुनिश्चित नहीं  कए जाने के कारणो से पुछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया  क कार्यवाही की जा रही है और कार्य पर अंतिम माप  लया गया है खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है  क निर्माण कार्य पर अनुबन्ध के क्लाज 56.2 (a) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी जिस कारण से समय पर निर्माण कार्य पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना कार्य के प्रति खण्ड की लापरवाही को परिल क्षत करता है इस के साथ साथ सम्पूर्ण निर्माण कार्य आति थ मे स्वीकृत लागत से पूर्ण  कया जाना सम्भव नहीं है।

अतः कालाडुंगी मे देचोरी व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी के ऊपर 54 मी॰ स्पान झूला पुल लागत रु 280.45 लाख के निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा सुचारु रूप से कार्य प्रारम्भ न करने पर अनुबन्ध के क्लाज 56.2 (a) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित न कर निर्माण कार्य पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना व कार्य के प्रति खण्ड की लापरवाही का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-4 :समय पर भू म प्रतिकर वतरण न होने व धनरा श को निक्षेप मद भाग-**III** मे वगत करीब 10 वर्षो से अवरूध्द रखे जाने के एवं समय पर प्रकरण शासन के सज्ञान मे न लाये जाने के कारण ` 60.88 लाख का भू म प्रतिकर की धनरा श का अवरुध्द होना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब)मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रामनगर के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड को उत्तराखंड शासन द्वारा निम्न ल खत कार्यो के भू-अर्जन एवं क्षति के प्रतिकर के भुगतान हेतु धन आवंटन कया गया था।

| क्रम .स. | कार्य का नाम | निक्षेप पंजिका के अनुसार **01/2018** मे अवशेष धनरा श | कब से |
|---|---|---|---|
| 1 | रामनगर लालढ़ांग मार्ग | 652549 | |
| 2 | रामनगर रिंग रोड | 5280901 | 02/2006 |
| 3 | रामनगर करनपुर मार्ग | 154752 | |
| | कुल | 6088202 | |

लेखा अ भलेखो की जांच में पाया गया हैं क निक्षेप पंजिका III मे दर्शाये गए रामनगर लालढ़ांग मार्ग के लए अवशेष धनरा श ` 6,52,549.00 के संबंध मे कोई भी अ भलेख लेखा परीक्षा दल को प्रस्तुत नही कए गए।

रामनगर रिंग रोड के लेखा अ भलखो मे पाया गया क उत्तराखंड शासन के पत्रांक-539/III(2)04 दिनांक-14.02.2006 के द्वारा कुल ` 58.13 लाख स्वीकृत कए गए। खण्ड द्वारा उक्त रा श मे केवल ` 05.22 लाख का वतरण कया एवं निक्षेप पंजिका 2017-18 के अनुसार ` 52.91 लाख अवशेष हैं। खंड द्वारा इस संबंध मे 2009 से कोई पत्राचार भी नही कया गया हैं अ भलेखो व पत्रावली मे आगे पाया गया क उक्त धनरा श का वतरण न होने के कारण खंड द्वारा निक्षेप मद भाग-III मे अवरूध्द रखा गया है जो क वत्तीय नियमो का उल्लंघन है।

रामनगर करनपुर रोड के लेखा अ भलेखो के साथ खंड द्वारा स्वीकृत शासनादेश को लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नही कया जिस कारण यह नही ज्ञात हो पाया क रामनगर करनपुर रोड हेतु कुल कतनी धनरा श व कब शासन से प्राप्त हुई थी निक्षेप पंजिका 2017-18 के अनुसार `154752.00 अवशेष हैं। खंड द्वारा इस संबंध मे 2009 से कोई पत्राचार भी नही कया गया हैं अ भलेखो व पत्रावली मे आगे पाया गया क उक्त धनरा श का वतरण न होने के कारण खंड द्वारा निक्षेप मद भाग-III मे अवरूध्द रखा गया है जो क वत्तीय नियमो का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा मे यह भी संज्ञान मे आया क पूर्व मे रामनगर रिंग रोड मे भू म प्रतिकर की धनरा श ` 877078.00 का वतरण न होने से व खंड द्वारा शासन को समय पर संज्ञान मे न लाने के कारण लाभा र्थयो को माननीय न्यायालय जिला जज नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अनुसार `1.69 करोड़ धनरा श खंड को जमा करने के आदेश दिये गए हैं।अत: समय पर कार्यवाही न कये जाने के कारण शासन कोष पर अतिरिक्त अ धभार पड़ा।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया है क अ भलेख नही होने के कारण रामनगर लालढ़ांग मार्ग से संबन्धित अ भलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नही कए जा सके।रामनगर रिंग रोड एवं रामनगर करनपुर मार्ग के संबंध मे खंड द्वारा अवगत कराया गया क काश्तकारों द्वारा रु च नही लेने के कारण 2009 से पत्राचार बंद कर दिया गया है। एवं प्रतिकर का वतरण नही कया जा सका। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क यदि काश्तकारों द्वारा प्रतिकर लेने के लए कोई रु च नही ली जा रही है तो खंड को उक्त धनरा श सम र्पत की जानी चाहिए जिससे यह प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता।

अत: समय पर भू म प्रतिकर वतरण न होने व धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे वगत करीब 10 वर्षो से अवरूध्द रखे जाने तथा समय पर प्रकरण को शासन के सज्ञान मे न लाये जाने के कारण ` 60.88 लाख का भू म प्रतिकर की धनरा श अवरुद्ध,शासन कोष पर भ वष्य मे अतिरिक्त अ धभार पड़ने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-5 :उप खनिजो पर कम रायल्टी वसूल कया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016,एवं स.842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक-19 मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

उक्त के परिपेक्ष्य में खण्ड के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की नमूना जॉच में पाया गया क खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मई 2016 से फरवरी 2017 मे नहीं की गयी थी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-26.02.2016 से 18 मई 2016 तक 194.50 एवं 19 मई 2016 से 176.00 प्रति घन मीटर संशो धत/वृद् ध कया गया था। अगर खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती (सलग्नक के अनुसार) तो 19.44 लाख रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती अर्थात ( 39.78 - 20.34 लाख= 19.44 लाख) की राजस्व की कम वसूली हुई है।

इसके अलावा अ भलेखो मे यह भी देखा गया गया हैं क कुछ बाउचरो मे रॉयल्टी रोकी(withheld) गयी हैं तथा इन बाउचरो मे भी रॉयल्टी 80/90 प्रति घन मीटर की दर से काटी गयी हैं जब क इन बाउचरो मे भी रॉयल्टी की दर 176.00 प्रति घन मीटर होनी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जांच मे पाया गया था क वाउचर संख्या-57 दिनांक-11.05.2017 मे भी रॉयल्टी की दर 176.00 प्रति घन मीटर की बजाय 80/90 प्रति घन मीटर की दर से काटी गयी थी जिससे रॉयल्टी मे ` 123833.00 की हानि हुई।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क शासनादेश समय से उपलब्ध न होने के कारण रॉयल्टी की कटौती नही हो पायी एवं संबन्धित ठेकेदारो के

देयकों से समय समय पर रॉयल्टी की कटौती कर ली जायेगी।खंड का उत्तर मान्य नही हैं।

अत:कुल `20.68 लाख ( ` 19.44 लाख + 1.24 लाख )की रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## <u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| क्रम संख्या | लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष | अनिस्तारित प्रस्तर | |
|---|---|---|---|
| | | भाग-दो 'अ' | भाग-दो 'ब' |
| 1. | 01/2007-08 | 2,3 | - |
| 2. | 34/2008-09 | 1,2 | - |
| 3. | 75/2010-11 | 01 | - |
| 4. | 79/2011-12 | 01 | - |
| 5. | 68/2013-14 | 1,2,3 | - |
| 6. | 119/2014-15 | 1,2 | 1,3,4 |
| 7. | 116/2015-16 | 1 | 1,3 |
| 8. | 119/2016-17 | - | 1 STAN-1 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गयी है। | | | | |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
   (I) रामनगर- लालढ़ांग मार्ग के प्रतिकर वतरण संबंधी अ भलेख ।
2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | |
|---|---|---|---|
| 1. | ई॰ मीना भट्ट | अ धशासी अ भयंता | वगत लेखापरीक्षा से अब तक। |

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।
   (i) श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी विगत लेखा परीक्षा से 06/2017 तक।
   (ii) श्री विपिन कुमार 06/2017 से अब तक

   लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**आर्थिक क्षेत्र - 2**